अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/15/2013-14

29 मई, 2013

श्री चन्द्र प्रकाश
निजी सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव,
मुख्य सचिव कार्यालय लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री फरीद हुसैन, 453 हुसैन बाग किला, बरेली--243003, उत्तर प्रदेश का दिनांक 16 मई 2013 का पत्र दिनांक 27 मई 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 19एफ 001544 संलग्न कर अपने आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय वस्तु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-
श्री फरीद हुसैन, 453 हुसैन बाग किला, बरेली, उत्तर प्रदेश -243003 - कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।
श्रीयुत वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक, डाकघर, बरेली डिवीजन, बरेली उत्तर प्रदेश सूचनार्थ।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Sr. Supdt. of Post Offices
Bareilly Division, Bareilly

मध्यम से प्रवर अधीक्षक डाकघर बरेली २४३००३

सेवा में

मा० केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,

आर.टी.आई.एक्ट २००५

उप राष्ट्रपति सचिवालय,

भारत सरकार

मौलाना आज़ाद रोड,

नई दिल्ली.११००११

प्रवर अधीक्षक डाकघर बरेली मण्डल बरेली-243001
02 MAY 2013
Sr. Supdt. of Post Offices Bareilly Division, Bareilly-243001

विषय.सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ७ के अधीन सर्वोच्च प्राथमिकता ४८ घण्टें में सूचना प्रदान किये जाने के संदर्भ में।

प्रिय महोदय, बरेली दिनांक ०२/०५/२०१३

निवेदन है कि प्रार्थी फरीद हुसैन को उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत भारत के नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्या के बारे में निम्न सूचनाएं ४८घण्टें में प्रदान करानें का कष्ट करें। निर्धारित शुल्क रु०१० मात्र का पोस्टल आर्डर स०१७ एफ ११५६०८ मूल रुप में संलगन है

प्रार्थी फरीद हुसैन ने दिनांक २०/०४/०१३ को महामहिम उप राष्ट्रपति जी को एक प्रार्थना पत्र {प्रति संलग्न} मुहल्ला हुसैन बाग बरेली में नगर निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर कचरा डलवाने पर रोक लगाने का आदेश पारित किये जाने और मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लघंन करने वाले नगर आयुक्त व नगर स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही करवाने के संदर्भ में भेजा था। कानून बनाने के पश्चात अगर उनका सख्ती के साथ पालन न करवाया जाए और कानून का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति को चाहें वह कोई वरिष्ठतम अधिकारी ही क्यों न हो दण्डित न किया जाए तो कानून औचत्यहीन हो जाएगा और देश में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाएगा। बरेली नगर निगम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना ही मुहल्ला हुसैन बाग के सार्वजनिक स्थल पर कचरा डालकर हजारों नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है और मा० सर्वोच्च न्यायालय के म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट {मैंनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग}रुल्स २००० का तथा अनुछेद २१ का खुला उल्लघंन कर रहा है और मुझे महामहिम से न्याय की भरपूर आशा है इसलिए

इस प्रकरण में महामहिम के माध्यम से तत्काल कड़े आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता है अंत आप कृप्या प्रार्थी को निम्नलिखित सूचनाएं लौटती डाक से या अधिकतम ४८ घण्टें में प्रेषित करवानें का कष्ट करें ।

{१}प्रार्थी की संलग्न जनहित याचिका पर महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय ने क्या आदेश पारित कियें हैं कृप्या उन आदेशों की एक प्रमाणित प्रति प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

{२}यदि संलग्न प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है तो जनहित को ध्यान में रखते हुए महामहिम के माध्यम से इस पर कड़े आदेश कब तक पारित किये जाएगें ४८ घंण्टे में बताने की कृपा करें। धन्यवाद.

प्रार्थी
Fareed,
फरीद हुसैन
४५३.हुसैन बाग.
किला.बरेली. २४३००३
MoB - 09759029201
9837945513